

नारायण 5.3976
दि. 18-7-19

श्री. पदम
कुमार
दि. 16-7-18

12
28

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 11-26/2018/20-4
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/07/2018

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.
भोपाल।

विषय:- डब्ल्यू.पी. 13763/2012 (एस) श्री पदम कुमार टेडिया विरुद्ध म.प्र.
शासन व अन्य तथा समरूप प्रकरणों में कार्यवाही के संबंध में।

विषयांतर्गत याचिका क्रमांक 13763/2013 (एस) श्री पदम कुमार टेडिया विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य में मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा दिनांक 30.01.2014 को पारित निर्णय का सार यह है कि उक्त याचिकाकर्ता शिक्षक है तथा शिक्षक के पद से ही सेवानिवृत्त हुए हैं, अतः वे 62 वर्ष तक कार्य करने हेतु पात्र हैं तथा ऐसे व्यक्ति जो भले ही शिक्षक नहीं हैं, वे भी 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने हेतु पात्र हैं यदि वे 20 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव रखते हैं। उक्त डब्ल्यू.पी. क्र. 13763/2013 (एस) में पारित निर्णय के विरुद्ध रिट अपील क्रमांक 499/2014 दायर की गई। अपील में पारित निर्णय दिनांक 23.11.2015 में मान. युगलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.2014 को सही एवं उचित ठहराते हुए अपील खारिज कर दी गई। अपील में पारित निर्णय के विरुद्ध में विशेष अनुमति याचिका डायरी क्रमांक 16257/2017 दायर की गई जिसमें दिनांक 21.08.2017 को पारित आदेश में मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अपेक्षा की गई कि मान. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण पर नये सिरे से विचार किया जाए। मध्यप्रदेश राज्य को इस संबंध में समुचित आवेदन मान. उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी। राज्य शासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि वह यह विचार करे कि 20 वर्ष की सेवा अवधि निर्धारित किए जाने को लेकर जो वर्गीकरण किया गया है उसके पीछे क्या कोई तार्किक तथ्य है? इस संबंध में एक माह में आवश्यक निर्णय लिये जाने के निर्देश दिए गये।

2/ मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिका क्रमांक 13763/2013 (एस), श्री पदम कुमार टेडिया विरुद्ध म.प्र. शासन में रिव्यू याचिका क्रमांक आर.पी. 119/2018 मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में दायर की गई है जो वर्तमान में प्रचलन में है।

3/ मान. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में समरूप प्रकरणों में वित्त विभाग का अभिमत प्राप्त किया गया। वित्त विभाग द्वारा दिए गए अभिमत दिनांक 03.07.2018 के प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- 1) शिक्षक के पद पर संविलयन द्वारा नियुक्ति के फलस्वरूप इनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होनी चाहिए।
- 2) उपर्युक्त आधार पर न्यायालयीन आदेश के अनुपालन की सहमति दी जाती है।
- 3) ऐसे अन्य प्रकरणों में भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का परामर्श है।

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
4)

Amu

53/203
30-7-18

उप सचिव
म.प्र. शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Om

10. विशेष कर्तव्यरूप अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ, स्कूल शिक्षा विभाग, मजालय, भीपाल।

9. जिला कोषालय अधिकारी (समस्त), म.प्र.।

8. जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त), म.प्र.।

7. स्यूक्त संचालक, विधि प्रकोष्ठ (समस्त)।

6. संगणकीय स्यूक्त संचालक, लोक शिक्षण (समस्त)।

5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भीपाल।

4. आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., भीपाल।

3. महाविद्यालय/अतिरिक्त महाविद्यालय, म.प्र. उच्च स्थापनाय, जबलपुर/इंदौर/वालिधर।

2. महाविद्यालय/अतिरिक्त महाविद्यालय, म.प्र. वालिधर।

1. निज सचिव, संगणकीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, भीपाल।

प्रतिनिधि :-

पु क्रमांक एक 11-26/2018/20-4.

भीपाल, दिनांक 16/07/2018

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

उप सचिव

(क.क.हिबेटी)

Om

उत्तरमें न ही यह सुनिश्चित किया जाए।

हिए निराकरण किया जाए तथा इस संबंध में मतिष में कोई अन्य स्थापनाचीन प्रकरण समरूप शासकीय संकायों के संवागित प्रकरणों का भी उपयुक्त निर्देशों का पालन करते

5/ काठिका (4.2) में उल्लिखित श्रेणी के मतिष में संवागित होने वाले ऐसे समस्त उपाय दवा प्रस्तुत कर उनका निराकरण कराया जावे।

4.3 समरूप स्थापनाचीन प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए आवश्यक किया जाए।

प्रदान की जाए तथा तदनुसार समस्त संवागित संवर्धी खतों का भुगतान यादिकाकर्ताओं की अर्थाधिकारी आयु 62 वर्ष मान्य करते हूँ संवागित किया गया है, संवाहित प्रवाहित समस्त समरूप स्थापनाचीन प्रकरणों में

4.2 ग्रौह शिक्षा पर्यवेक्षक जिनका विभागीय आदेश क्रमांक एक-2-5/97/20-2/बीस, दिनांक 06.06.1998 के अर्जुम में शिक्षा विभाग में संवागित

119/2018 जी वर्तमान में प्रचलन में है, को वापस लिया जाए।

4.1 मान. उच्च स्थापनाय खण्डपीठ इंदौर में दायर विद्यु यादिका क्रमांक 3/

विल विभाग के उपयुक्त अभिमत के प्रकथा में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए

अतिरिक्त सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
म.प्र. शासन

Om

11. गाई फाइल।

20/7/18


#

4/

Om

100 - 100
 शिक्षण विभाग
 उत्तर प्रदेश
 लखनऊ

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
 संचालक

(एम.आर. खान)


की ओर संन्याय एवं आवश्यक कावचाही हेतु अभिलिखित ।

11. प्रभाषी कम्प्यूटर कक्ष (स्थानीय), ई-मेल/पोर्टल पर अपलोड हेतु ।
10. समस्त जिला कार्यालय अधिकारी म.प्र.
- उद्देश्य न हो, यह संनिश्चित किया जाए ।
- करते हुए निराकरण किया जाए तथा इस संबंध में भविष्य में कोई अन्य न्यायनिधीन प्रकरण
- समस्त समकक्ष शासकीय संवकों के संवनिश्चित प्रकरणों का भी उपर्युक्त निर्देशों का पालन
- परिपत्र में उल्लिखित कठिणता 4.2 में उल्लिखित श्रेणी के भविष्य में संवनिश्चित होने वाले ऐसे
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर भेजकर निर्दिष्टित किया जाता है कि शासन
8. सहायक संचालक, विधि कक्ष (स्थानीय)
7. समस्त संचालक संचालक, लोक शिक्षण विधि प्रकोष्ठ म.प्र.
6. समस्त समानीय संचालक संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.
5. संचालक, राज्य शिक्षा कर्म, पुस्तक भवन, अररा हिल्स म.प्र. भोपाल ।
4. महाविद्यालय/अतिरिक्त महाविद्यालय, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर/इंदौर/वालिधर म.प्र. ।
3. महालेखाकार म.प्र. वालिधर ।
- 26/2018/20-4 दिनांक 16.07.2018 के क्रम में संन्याय प्रेषित ।
2. उप सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय की ओर उनके परिपत्र क्र. एक-11-
1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।

प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 6/8/2018

पृ. क्र. स्था-3/एच/अधि.आर्.पु./2014-18/1496

ई-मेल est3-dpi@mp.gov.in

दूरभाष : 0755-2583650, फ़ैक्स 2583651

गौतम नगर, भोपाल-462023

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश

131